

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 24 फरवरी, 2021

विषय- जनपद फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-232 के किमी० 211.837 से किमी० 222.868 के मध्य प्रस्तावित बाइपास के निर्माण में प्रभावित 0.7954 हे० अवर्गीकृत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10 वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-80/11सी/एफपी/यूपी/रोड/22408/2016 दिनांक 12-7-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के एफ०एन० संख्या-11-9/98/एफसी, दिनांक 21-8-2014 एवं पत्र दिनांक 13-2-2014 के दृष्टिगत जनपद फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-232 के किमी० 211.837 से किमी० 222.868 के मध्य प्रस्तावित बाइपास के निर्माण में प्रभावित 0.7954 हे० अवर्गीकृत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10 वृक्षों के पातन विषयक निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 23-6-2017 के आधार पर विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

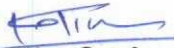
- (1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
- (2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
- (3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
- (4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।
- (5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।
- (6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (7) नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

- (8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/ फाँना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फलोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
- (9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (10) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
- (11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, 30प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- (12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (13) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (14) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।
- (15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अपडेटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
- (16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- (17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (20) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।

- (21) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (22) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ 30प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग, लागिंग एवं ट्रान्सप्लेंटेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।
- (23) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-11-98-एफसी, दिनांक 13-2-2014 के शर्त संख्या-(xiii) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार/सुदृढीकरण अगले 5 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।
- (24) वन अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19-7-1999 के प्रस्तर-1(3) में हुये संशोधन के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक 09 जनवरी 2013 में विहित व्यवस्थानुसार एन0एच0ए0आई0 को वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु लीज रेंट व प्रीमिएम से छूट है, परन्तु एन0पी0वी0 देय होगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्रांक-ई-7-353/दस-2021, दिनांक 23-02-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जाता है।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
- 4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर।
- 5- परियोजना निदेशक एन0एच0ए0आई0 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना कार्यान्वयन इकाई रायबरेली।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आर0पी0 सिंह)

अनुसचिव।